

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -09/2024-25

तिथि

आदेश फलक

की गई
कार्रवाई

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं:-

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता :- लखपति भूमिज, पिता-स्व० मोरा भूमिज, जाति-भूमिज, ग्राम-घाघीडीह, थाना-बागबेड़ा, अंचल-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-6,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :- सुनिता बान्डरा, पति-रुपसिंह बान्डरा, जाति-हो, ग्राम-बेड़ाडीपा, थाना-बागबेड़ा, अंचल-जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जला-पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा।

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
घाघीडीह	1169	2	3716	3.30डी०

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

20/4/24
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।